समन्वय अनुभाग **18.03.2015 को अद्यतन कृत**

स्व प्रेरणा से प्रकटीकरण

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

संस्कृति मंत्रालय

(संगठन का विवरण)

मद सं. 1 : भारत सरकार की कार्य आबंटन नियमावली, 1961 के अंतर्गत आबंटित विषयों के अनुसरण में व्यापक कार्यकलाप।

संस्कृति मंत्रालय का अधिदेश कला व संस्कृति के सभी रूपों का परिरक्षण व संवर्धन करना है।

इस प्रयोजनार्थ, संस्कृति मंत्रालय ऐसे कार्यकलाप करता है जो भारत सरकार की कार्य आबंटन नियमावली, 1961 के तहत आबंटित विषयों से सम्बद्ध है। इनमें मुख्यत: निम्नलिखित विषय शामिल हैं :

- देश की विरासत, प्राचीन स्मारकों तथा ऐतिहासिक स्थलों का अनुरक्षण व संरक्षण;
- साहित्यिक, दृश्य व मंच कलाओं का संवर्धन;
- पुस्तकालयों, संग्रहालयों व मानव विज्ञान संस्थानों का प्रशासन;
- अभिलेखागार अभिलेखों तथा अभिलेखीय पुस्तकालयों का अनुरक्षण, परिरक्षण व संरक्षण;
- सांस्कृतिक सम्पदा के संरक्षण में अनुसंधान और विकास;
- महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विभूतियों व समारोहों की शताब्दियां और जयन्तियां मनाना;
- बौद्ध व तिब्बती अध्ययन संस्थानों व संगठनों का संवर्धन;
- दूसरे देशों के साथ सांस्कृतिक करार करना और उनका कार्यान्वयन।

ब्यौरे **मद सं. II** के अंतर्गत दिए गए हैं।

मंत्रालय के कार्य का दायरा बहुत व्यापक है जिसमें मूल स्तर पर सांस्कृतिक जागरूकता पैदा करने से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक आदान-प्रदानों को प्रोत्साहित करना है। भारत की प्राचीन विरासत का परिरक्षण और लोगों के मूर्त व अमूर्त; दोनों तरह की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की सुरक्षा के कार्यक्रमों के साथ-साथ, मंत्रालय के कार्यकलापों, विविध समकालीन कलाओं को प्रोत्साहित करना तथा उनका प्रसार करना है। मंत्रालय का

उद्देश्य ऐसे अर्थोपायों का विकास करना है जिनके माध्यम से लोगों की मूल सांस्कृतिक व सौन्दर्यपरक संवेदनशीलताएं सक्रिय व गतिशील बनी रहें।

मंत्रालय के कार्यकलाप, इसके तहत 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र जो मुख्यत: विभिन्न क्षेत्रों की लोक व पारम्परिक कलाओं के लिए कार्य कर रहे हैं सहित 2 सम्बद्ध 6 अधीनस्थ कार्यालयों व 34 स्वायत्त संगठनों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं।

ब्यौरे **मद सं. VI और VII** के अंतर्गत दिए गए हैं।